यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

रेफरेन्स / 08 / 2019

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार भरतपुर

.....प्रार्थी

बनाम

1–प्यारेलाल पुत्र लोहरे **(मृतक)**
1 / 1–मानसिंह पुत्र प्यारे लाल
1 / 2–ईश्वरी पुत्र प्यारे लाल **(मृतक)**
1 / 2 / 1–अपिल पुत्र ईश्वरी
1 / 2 / 2–राकेश पुत्र ईश्वरी
1 / 2 / 3–विजय पुत्र ईश्वरी
1 / 2 / 4–सुमन पुत्री ईश्वरी
1 / 2 / 5–राधा पुत्री ईश्वरी
1 / 2 / 6–शान्ति दुवी पत्नी ईश्वरी
1 / 3–प्रेमचन्द पुत्र प्यारेलाल **(मृतक)**
1 / 3 / 1–राकेश पुत्र प्रेमचन्द
1 / 3 / 2–दिनेश पुत्र प्रेमचन्द
1 / 3 / 3–सीमा पुत्री प्रेमचन्द
1 / 3 / 4–रामादेवी पत्नि प्रेमचन्द
1 / 4–भगवत प्रसाद पुत्र प्यारे लाल **(मृतक)**
1 / 4 / 1–वीरेश कुमार पुत्र भगवत प्रसाद
1 / 4 / 2–दीपक सैनी पुत्र भगवत प्रसाद
1 / 4 / 3–ज्योति पुत्री भगवत प्रसाद
1 / 4 / 4–इन्द्रा पत्नि भगवत प्रसाद
1 / 5–अंगूरी पुत्री प्यारेलाल
1 / 6–अनारइेई पुत्री प्यारेलाल
1 / 7–विध्या पुत्री प्यारे लाल
1 / 8–चन्द्रवती पुत्री प्यारेलाल **(मृतक)**
1 / 8 / 1–मिथलेश पुत्री चन्द्रवती
1 / 8 / 2–निशा पुत्री चन्द्रवती
1 / 8 / 3–कीर्ति पुत्री चन्द्रवती
1 / 8 / 4–नीतू पुत्री चन्द्रवती **(मृतक)**
1 / 9–वसन्ती पत्नि प्यारे लाल **(मृतक)**

जाति माली सा0 कुम्हेर गेट भरतपुर

.....अप्रार्थी0

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

रेफरेन्स/08/2019
सरकार बनाम प्यारेलाल

रेफरैन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, बाबत आराजी खसरा नम्बर 2622, 2656, ग्रांम कस्बा भरतपुर चक नं.02 तहसील भरतपुर।

उपस्थित :–
1–पैरोकार सरकार प्रार्थी
2–श्री दिनेश शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थी0

निर्णय दिनांक 09.05.2025

प्रार्थी तहसीलदार भरतपुर ने यह रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 व 9 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, इस आश्य का पेश किया है कि जो संक्षेप में इस प्रकार है गत आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 2.05 सम्वत 2026 में लोहरे पुत्र टुण्डे माली साकिन कुम्हेर दरवाजा, गैर खातेदार दर्ज था। जिसके हाल खसरा नम्बर 2622 रकवा 0.09, 2656 रकबा 0.06 है0 कस्बा भरतपुर चक नम्बर–2 भरतपुर बने हैं। उक्त विवादित आराजी पर अप्रार्थी ने नियमों के खिलाफ अनुचित रुप से खातेदारी अधिकार प्राप्त कर लिये हैं। अप्रार्थी के मृत्यू के बाद अप्रार्थी0 ने विरासतन/अन्य द्वारा अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा लिये हैं। विवादित आराजी नगर परिषद/नगर विकास न्यास भरतपुर की सीमाओं के अन्तर्ग स्थित है एवं आबादी क्षेत्र से सटी हुई भूमि है एवं मौके पर वतमन में यह भूमि सी.एफ.सीडी के बहाव क्षेत्र में है। अप्रार्थीगण ने मिलीभगत करके जल भराव सी.एफ.सी.डी. क्षेत्र की भूमि पर नियमों के विपरीत खातेदारी प्राप्त कर ली है जो माननीय उच्च न्यायालय अब्दुल रहमान बनाम सरकार के परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण की खातेदारी निरस्त किये जाने एवं विवादित आराजी को पुनः सिवायचक राजकीय भूमि दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया है।

रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी0 को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी0 की ओर से अभिभाषक श्री दिनेश शर्मा का वकालतनामा पेश हुआ जो शामिल मिसिल किया गया। अप्रार्थी 1/1 की ओर से जबाब पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

पैरोकार सरकार प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में अंकित कथनों को दोहराते हुय बताया कि विवादित गत आराजी खसरा नम्बर 1011 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 1012 रकबा 2.05 हाल खसरा नम्बर 2622 रकवा 0.09, 2656

.....3

जिला कलक्टर
भरतपुर

रकबा 0.06 है0 कस्बा भरतपुर चक नम्बर–2 भरतपुर सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित हैं। इस सम्बन्ध में पेरोकार सरकार ने गूगल कैड मैप पेश किया तथा उक्त नक्शे में अंकित उक्त विवादित खसरा नम्बरान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हुये बताया कि ये खसरा नम्बर सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित हैं। माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार का उल्लेख करते हुये, हाल आराजी खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.09, 2656 रकबा 0.06 है0 पर अप्रार्थीगण द्वारा नियमों के विपरीत अपने नाम गैर खातेदारी इन्द्राज दर्ज करा लिये हैं। पैरोकार सरकार का कथन है कि विवादित आराजी पानी बहाव सी.एफ.सी0डी. में स्थिति है, ऐसी भूमियों पर किसी भी प्रकार से खातेदारी / गैरखातेदारी नहीं दी जा सकती है। पैरोकार सरकार ने विवादित आराजी पर राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण के नाम दर्ज गैर खातेदारी इन्द्राजात को निरस्त कराये जाने का निवेदन किया है।

योग्य अभिभाषक अप्रार्थी0 ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि विवादित आराजी पर पूर्वजों के समय से कब्जे खातेदारी अधिकार चले आ रहे हैं। विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी बहाव क्षेत्र में नहीं आती है। तहसीलदार ने गलत तथ्यों के आधार पर रेफरेन्स पेश किया गया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2026 ग्रांम कस्वा चक नं.2 भरतपुर का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत 2026 में लोहरे पुत्र टुण्डे माली साकिन कुम्हेर दरवाजा, गैर खातेदार का अंकन हो रहा है। जिसके हाल खसरा नम्बर 2622 रकबा 0.09, 2656 रकबा 0.06 है0 कस्बा भरतपुर चक नम्बर–2 बने हैं। पत्रावली में शामिल मौका पर्चा रिपोर्ट पटवारी का अवलोकन किया गया, रिपोर्ट में पटवारी ने अंकित किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2622, 2656 की मोका स्थिति का पता लगाने हेतु मौके पर पहुंचा। उक्त खसरा नम्बरान मोके पर सी.एफ.सी.डी. बहाव क्षेत्र में है, इस सम्बन्ध में हल्का पटवारी ने गूगल कैड मैप पेश किया जिसमें आराजी खसरा नम्बर 2622, 2656 सी.एफ.सी.डी. बहाव क्षेत्र में स्थिति होना स्पष्ट है। अप्रार्थीगण ने यह नहीं बताया कि उन्हें विवादित आराजी पर गैरखातेदारी अधिकार कैसे मिले हैं। अप्रार्थीगण की ओर से ऐसा कोई राजस्व अभिलेख आंवटन आदेश वगे. पेश नहीं किया गया जिससे उनके गैर खातेदारी इन्द्राजों की पुष्टी होती हो। इससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने मिलीभगत कर विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2622, 2656 सी.एफ. सी.डी. बहाव क्षेत्र पर नियमों के विपरीत गैरखातेदारी इन्द्राज करा लिये हैं। पैरोकार सरकार ने विवादित आराजी के मौके का गूगल कैड मैप पेश किया है जिसमें

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

आराजी खसरा नम्बर 2622, 2656 सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित होना स्पष्ट है। मौका रिपोर्ट पटवारी एवं गूगल कैड मैप से यह निर्विवाद है कि आराजी खसरा नम्बर 2622, 2656 सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित हैं। ऐसी भूमि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित होने के कारण आवंटित नहीं की जा सकती एवं ऐसी भूमियों पर किसी भी प्रकार से किसी व्यक्ति को पट्टा/खातेदार/खातेदारी नहीं दी जा सकती है। माननीय उच्च न्यायालय के प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में दिये गये निर्णय/आदेश की परिप्रेक्ष्य में अप्रार्थीगण विवादित आराजी सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित/दर्ज गैरखातेदारी इन्द्राजात को कलमजन किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रकरण प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। सी.एफ.सी.डी. पानी बहाव क्षेत्र में स्थित विवादित हाल आराजी खसरा नम्बर 2622, 2656 कस्बा चक नं. 2 भरतपुर पर अप्रार्थीगण के गैरखातेदारी इन्द्राज को कलमजन किया जाता है तथा विवादित आराजी को पूर्व की भांति राजकीय भूमि सिवाय चक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार भरतपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09–05–2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर